पीसांगन

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री ...	

मुराद बेग बनाम श्रीमती सेनू वगैरह

30.9.19

पत्रावली पेश हुईं। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस उपस्थित। अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस दिनांक 27.09.2019 को सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी, स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 217 नया 198 पुराना के खसरा नम्बर 190 रकबा 0.44 है0 के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति हेतु मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 55/2018 अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट बिना किसी विधिक हक, अधिकार एवं आधिपत्य के अपीलांट/प्रार्थी जो कि भारतीय थल सेना से सेवानिवृत कार्मिक है, कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अनावश्यक दखलंदाजी एवं मजाहमत उत्पन्न करते है। इस कारण ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण/रस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। जिस पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेश दिनांक 20.07.2018 द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की गयी तथा जवाब अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत होने पर दोनो की बहस समायत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.03.2019 से अपीलांट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की गैर कानूनी आज्ञा पारित कर दी। अपीलांट/प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2019 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन कि विवादित भूमि अलादीन पुत्र नानू बेग द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.09. 1963 द्वारा रहमान पुत्र लूम्बा को विक्रय की जाकर कब्जा काश्त से लाया गया जिसके आधार पर रहमान के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा रहमान के स्वर्गवास पश्चात विरासत नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 20.03.2017 द्वारा विधिक वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा विधिक वारिसान द्वारा विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2019 द्वारा अपीलांट के हक में विक्रय की जाकर कब्जा काश्त संभला दिया गया तथा नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 23.10.2017 से खातेदारी स्वीकृत हुई। जिस भूमि पर अपीलांट द्वारा बैंक ऑफ बडौदा, शाखा भावंता से ऋण भी प्राप्त किया गया, जिस का रहन नामान्तकरण संख्या 433 दिनांक 09.05.2018 भी स्वीकृत चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण पूर्ण रूपेण अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय, पीसांगन द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2019 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि क्रय कर खातेदारी अधिकारी एवं कब्जा काश्त प्राप्त किये जाने के उपरान्त भूमि को समतल कर तारबंदी करवाते हुए गोभी की फसल बोई गयी, जिसको अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने पर अपीलांट द्वारा रिपोर्ट पुलिस थाना, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके तहत् दिनांक 01.08.2018 को रिपोर्ट दर्ज कर दिनांक 18.08.2018 को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध गठित होना पाया गया। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति भी अपीलांट /प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय होने के उपरानत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2019 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट/प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पीसांगन

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

137/19/225 अप्राइ कैश बनाम रेशमी बेगू

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/20137 R. 3 लैंड अप्रै. श्री ... श्री ...	

लगातार

तफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधांज्ञा पाबद फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण की पुश्तैनी जमीन व खातेदारी जमीन है जिस पर 40 वर्षो से मालिकाना हक व कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 29.09.2017 के समय कोयली व अन्य बनाम सेनू उर्फ सहनाज के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष राजस्व वाद व राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था कि अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा काश्त की जमीन हमे दिलावे जिसकी प्रोसेडिंग दिनांक 08.12.2017का अवलोकन करने से ही प्रार्थी की कुचेष्टा बेईमानी छल कपट का पता चल जायेगा कि प्रार्थी का कब्जा कहॉ से आ गया। विवादित जमीन को दिनांक 29.09.2017 को बिना कब्जे के ही क्रय कर इसके नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 23.10.2017 को राजस्व रिकार्ड में हैरा फेरी कर छल कपट के माध्यम से कूटरचीत दस्तोज को असल में उपयोग में लेने हेतु का आपराधिक कृत्य प्रार्थी ने किया है। अपीलांट/प्रार्थी, रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को पडौसी है और अपीलांट/प्रार्थी को पता था कि यह जमीन विवादित है कब्जा कोयली वगैरह के पास नही है फिर भी प्रार्थी ने दिनांक 29.09.2017 को जो क्रयशुदा जमीन बताई है उसको पक्षकार नहीं बनाया है न ही मौके का निरीक्षण तहसीलदार ने किया हों। तहसीलदार, पीसांगन को भी कोयली व अन्य व प्रार्थी ने गुमराह कर आपराधिक कूटरचित दस्तावेज रचने का आपराधिक कृत्य किया है। विवादित भूमि अपीलांट/प्रार्थी की किसी प्रकार से पैतृक भूमि नही है, अपीलांट/प्रार्थी द्वारा जिससे खरीद बताया है उसको पक्षकार नहीं बनाया है, रेस्पोंडेन्ट/अप्रार्थीगण को ही लगभग 40 वर्षो से मालिकाना हक व कब्जा काश्त है अभी भी वर्तमान में रेस्पोडेन्टस का ही खसरा नम्बर 190 पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अपीलांट किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है । अपीलांट की पैतृक भूमि नही है रेस्पोडेन्टस ने अपीलांट को कभी भी उक्त जमीन का बेचान नहीं किया है और ना ही कभी मौके का कब्जा काश्त दिया है। अपीलांट जिससे खरीदशुदा बताया है उसको पक्षकार नहीं बनाया है और ना ही राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाया है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अपीलांट वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 217 नया 198 पुराना के वर्तमान खसरा नमबर 190 रकबा 0.44 किस्म चाही–2 के रिर्कोडेड खातेदार दर्ज है तथा रोजनामचा प्रति दिनांक 01.08.2018 के अनुसार मौके पर तारबंदी होना तथा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा तोड़ा जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, जबकि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 10.08.2018 को अवश्य प्रस्तुत किया गया, परन्तु किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने अभिवचनों को सिद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिनके अभाव में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2019 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। साथ पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित होता है एवं मूल वाद पत्र के विचाराधीन रहते हुये विवादित भूमि के मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो प्रकरणों की बहुल्यता होगी एवं विवाद उत्पन्न होगा। इस प्रकार उपरोक्त विविचेना अनुसार

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

137/19/225 मुराद बेग बनाम श्रीमती बेनू

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/0137	
	श्री ... श्री ...	
लगातार	अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। **परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनजर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौके एवं समस्त रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।** पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 30/10/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	